रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08072021-228170
SG-DL-E-08072021-228170

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ़ 16, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 72
No. 183]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 72

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय–IV) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

संख्या 62/2020–राज्य कर

सं0फा0 03(98)/वित्त (व्यय–IV)/2021–22/डीएस– IV/536.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का नाम दिल्ली माल और सेवाकर (दसवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 20 अगस्त, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 8 में, उपनियम 4(क) के स्थान पर, 01 अप्रैल, 2020 से, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

" (4क) जहा कोई आवेदक, जोकि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन करता है तो, उपनियम (4) के अंतर्गत आवेदन को भरते समय, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावी, उसकी आधार संख्या का अभिप्रमाणन किया जायेगा और उन मामलों में आवेदन को भरे जाने की तारीख, वह तारीख मानी जायेगी, जो उसकी आधार संख्या की अभिप्रमाणन की तारीख या उपनियम (4) के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 के भाग ख में आवेदन के भरे जाने से पंद्रह दिन बाद की तारीख, दोनों में से जो भी पूर्वत्त रहोगी।"

3. उक्त नियम में, नियम 9 में, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावी

(i) उपनियम (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"परंतु जहां कि कोई व्यक्ति, जोकि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं करता है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण, उस व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्टरीति के अनुसार उसके कारबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन किये जाने के बाद, किया जायेगाः

परंतु यह और कि उचित अधिकारी, संबंधित कारणो को लिखित रूप से लेखबद्ध करते हुए और ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जिसका पद की संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे नही है, कारबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन किये जाने के स्थान पर, ऐसे दस्तावेजों को सत्यापन कर सकता है जिसे वह ठीक समझे'';

(ii) उपनियम (2) में स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

"परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति, जोकि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प को चयन नहीं करता है, तो प्ररूप जीएसटी आरईजी–03 मेंनोटिस, ऐसे आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर जारी किया जा सकेगा।";

(iii) उपनियम (4) में, शब्द" देगा" के स्थानपर शब्द"सकेगा"और शब्द" करेगा" के स्थानपर शब्द" कर सकेगा" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iv) उपनियम (5) के स्थानपर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

"(5) यदि उचित अधिकारी कोई भी कार्यवाही करने से चूक जाताहै–

(क) ऐसे मामले में जिसमें कि किसी व्यक्ति की आधार संख्या का अभिप्रमाणन सफलतापूर्वक हो जाता है या वह धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित है आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीन कार्य–दिवस के भीतर, या

(ख) ऐसे मामले में जिसमें कि कोई व्यक्ति, जोकि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न है, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है, तो उपनियम (2) के परंतुक के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, या

(ग) ऐसे मामले में जिसमें कि ऐसे व्यक्ति ने आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प 4 का चयन नहीं किया है, आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर, या

(घ) उपनियम (2) के अंतर्गत, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर,

तो रजिस्ट्रीकरण के लिए किये गये आवेदन के बारे में यह माना जायेगा कि उसे अनुमोदित कर दिया गया है।"

4. उक्त नियमों में, नियम 25 में, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावी, "असफल होने के कारण" शब्दों के पश्चात" या आधार के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन न किये जाने के कारण" शब्दों को अतःस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
मनोज कुमार,उप सचिव–IV (वित्त)

टिप्पण:–मूल नियम अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा दिल्ली के राजपत्र असाधारण, भाग–IV में संख्या सं0 फा0 03(10)/वित्त (राजस्व–I)/2020–21/डीएस– IV/342 तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया और अधिसूचना संख्या 60/2020–राज्य कर, तारीख 07/07/2021 द्वारा संख्या सं0 फा0 03(97)/वित्त (व्यय–IV)/2021–22/डीएस– IV/535 तारीख 07/07/2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2021

No. 62/2020– State Tax

No. F.3 (98)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/536.-In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. **Short Title and commencement.-** (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the 20th day of August, 2020.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted with effect from 01st April, 2020, namely:-

"(4A) Where an applicant, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub-rule (4), with effect from 21st August, 2020, undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number, or fifteen days from the submission of the application in **Part B** of **FORM GST REG-01** under sub- rule (4), whichever is earlier.".

3. In the said rules, in rule 9, with effect from 21st August,2020,-

(i) in sub-rule (1), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule25:

Provided further that the proper officer may, for reasons to be recorded in writing and with the approval of an officer not below the rank of Joint Commissioner, in lieu of the physical verification of the place of business, carry out the verification of such documents as he may deem fit.";

(ii) in sub-rule (2), before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the notice in **FORM GST REG-03** may be issued

not later than twenty one days from the date of submission of the application.";

(iii) in sub-rule (4), for the word, "shall", the word "may" shall besubstituted;

(iv) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: - "(5) If the proper officer fails to take any action,-

(a) within a period of three working days from the date of submission of the application in cases where a person successfully undergoes authentication of Aadhaar number or is notified under sub- section (6D) of section 25;or

(b) within the time period prescribed under the proviso to sub-rule (2),incaseswhereaperson,otherthanapersonnotifiedundersub-

section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8; or

(c) within a period of twenty one days from the date of submission of the application in cases where a person does not opt for authentication of Aadhaar number;or

(d) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule(2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.".

4. In the said rules, in rule 25, with effect from 21st August, 2020, after the words "failure of Aadhaar authentication", the words "or due to not opting for Aadhaar authentication" shall be inserted.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide notification dated the 22nd June, 2017, published vide number F3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide notification No. 60/2020 - State Tax, dated the 07/07/2021, published vide number No. F.3 (97)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/535 , dated the 07/07/2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.08 16:31:03 +05'30'